राजस्थान सरकार

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 62/2025 प्रा0पत्र

अनवान

नाथू सिंह पिता रूप सिंह जाति रावत उम्र 60 वर्ष निवासी टीबाना तहसील भीम जिला राजसमन्द।

......................प्रार्थी

बनाम

01. राम सिंह पिता नेत सिंह जाति रावत उम्र 65 वर्ष निवासी भाउ गोदा की गुंआर भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम/उपपंजीयन अधिकारी तहसील भीम जिला राजसमन्द।

.................अप्रार्थीगण

उपस्थितः—
01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र सिंह चौहान
02. अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा**

—:निर्णयः—

दिनांक 11/11/2025

01. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीम पटवार मण्डल भीम में वर्णित भूमि के खाता संख्या 1114 खसरा संख्या 8927 रकबा 0.1109 एवं खाता संख्या 1010 खसरा संख्या 8926 रकबा 0.0324 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2104 है0 है। उक्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में अप्रार्थी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार वर्ष 2018 में दर्ज था तथा उसी समय अप्रार्थी ने अपनी उक्त वर्णित आराजियात में से अप्रार्थी के हिस्से में से 02 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि का दिनांक 11.05.2018 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर उक्त विक्रयपत्र को उपपंजीयन कार्यालय भीम में उसी दिनांक 11.05.2018 को पंजीकृत कराया जिसे पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 185 पृष्ठ संख्या 43 क्रम संख्या 201803164100546 पर पंजीबंध किया गया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित उक्त भूमियों में से उक्त रकबे का मुझे विक्रय करने के साथ ही अप्रार्थी ने उक्त भूमियों का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किया जिसके पश्चात् अप्रार्थी द्वारा मुझे दिये गये भूमि के कब्जे के आधार पर मैंने उक्त भूमि पर मेरी चारदिवारी लगाकर एक लोहे का गेट लगाया तत्पश्चात् मैंने उसे एक भंगार वाले को किराये पर देकर उक्त जायदाद का उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं। जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा उक्त भूमियों को खरीदने के पश्चात् मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त विक्रयपत्र की एक

उपखण्ड अधिकारी (राजसमन्द)

Scanned with OKEN Scanner

फोटोप्रति तत्कालीन पटवार हल्का को देकर उक्त भूमियों का नामान्तकरण माफिक विक्रयपत्र मेरे नाम जमाबंदी में खोलने बाबत निवेदन किया तब पटवार हल्का ने उक्त विक्रयपत्र की प्रति का मूल विक्रय पत्र से मिलान करते हुए मुझे आश्वासन दिया कि वह उक्त 02 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि का नामान्तकरण मेरे नाम जमाबंदी में दर्ज कर देगा परन्तु तत्कालीन पटवार हल्का ने उक्त विक्रयपत्र के अनुसार उक्त भूमियों का नामान्तकरण नहीं खोलकर मनमाने तरीके से कम भूमि का नामान्तकरण खोल दिया जबकि मेरे द्वारा उक्त विक्रयपत्र के माध्यम से 02 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि का पंजीयन मेरे पक्ष में कराया गया तत्कालीन पटवार हल्का ने माफिक विक्रयपत्र नामान्तकरण नहीं खोल कर मात्र 02 बिस्वा 04 बिस्वांसी भूमि का नामान्तकरण ही खोला इस प्रकार 11 बिस्वांसी भूमि का नामान्तकरण नहीं खुलने से वह अभी भी अप्रार्थी राम सिंह के नाम ही दर्ज होने से अप्रार्थी उक्त भूमि को अन्य लोगों को बेचने पर आमादा है।

02. प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को अप्रार्थीगण की तलबी प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 12.08.2025 को अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 08.10.2025 को प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दु पुनः दोहराए गए।

03. हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी की बहस पर मनन किया। **प्रथम दृष्टया** चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में अपने हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गयी है अतः मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष का है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का होने से **अपूर्णनीय क्षति** तथा **सुविधा संतुलन** के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष के है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचन आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ग्राम भीम पटवार हल्का भीम के खाता संख्या 1114 खसरा संख्या 8927 रकबा 0.1109 एवं खाता संख्या 1010 खसरा संख्या 8926 रकबा 0.0324 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2104 है0 भूमि में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति बनायी रखी जावे तथा एक दूसरे के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये, पक्का निर्माण नही करे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे, अप्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। फर्द अहकाम पृथक से जारी हो।

निर्णय मेरा द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 11/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

एवं उपखण्ड अधिकारी (राजसमन्द)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner